



2026:AHC:37904

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या-669/2026

पंकज नगर

....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: संतोष कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता: प्रेम शंकर प्रसाद, एसजीआई.

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिका के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार राय तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना।
2. चूंकि पक्षकारों के बीच शपथपत्रों का आदान-प्रदान हो चुका है तथा प्रतिद्वन्दी पक्षकारों के अधिवक्ता आगे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, इसलिए रिट याचिका पर नये चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि अग्निवीर(सामान्य) के पद पर नियुक्ति के लिए प्रतिवादिओं द्वारा प्रारम्भ किए गए भर्ती अभियान के अनुसरण में रिट याचिकाकर्ता ने आवेदन किया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, 29.08.2025 को जिला-मुजफ्फरनगर में शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए तथा रिट याचिकाकर्ता के अनुसार कमांडिंग ऑफिसर आर्मी रिक्रूटमेंट जोन, मेरठ तीसरे प्रतिवादी ने रिट याचिकाकर्ता को शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित किया। शारीरिक योग्यता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात, परिणाम घोषित किया गया जिसमें रिट याचिकाकर्ता का नाम चयनित उम्मीदवार के रूप में पाया गया। एक बुलावापत्र जारी किया गया जिसमें रिट याचिकाकर्ता को पूर्व, दस्तावेजीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया के लिए नवम्बर, 2025 के महीने में उपस्थित होने की आवश्यकता बताई गयी। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि 24.11.2025 को रिट याचिकाकर्ता को प्रमाणपत्रों के साथ एआरओ, मेरठ में बुलाया गया था तथा रिट याचिकाकर्ता विषय स्थान पर उपस्थित था, यद्यपि रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि अचानक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह ने रिट याचिकाकर्ता के दाहिने हाथ पर जूते से लात मारी तथा रिट याचिकाकर्ता को चोटें आईं। चूंकि रिट याचिकाकर्ता को कथित सूबेदार मेजर से कोई शत्रुता या द्वेष नहीं था तथा वह सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह के उक्त आचरण से आश्चर्य चकित था, रिट याचिकाकर्ता ने वहां तैनात सैन्य कर्मियों से शिकायत की किन्तु उसपर ध्यान नहीं दिया गया और इस प्रकार रिट याचिकाकर्ता ने 13.12.2025 को हमलावर मेजर हरदयाल सिंह के विरुद्ध आपराधीक कार्यवाही दर्ज करने के लिए स्टेशन प्रभारी पुलिस स्टेशन, मेरठ के समक्ष एक पत्र प्रस्तुत किया था। रिट याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि उक्त घटना को दैनिक समाचार पत्र में उजागर किया गया था तथा उसके बाद रिट याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच 05.12.2025 को की गई जिसमें नीचे दिए अनुसार अस्थिभंग पाया गया। 'तीसरे मेटाकार्पल दाहिने हाथ में अस्थिभंग' के कारण उन्हें चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया।

4. इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान रिट याचिका दायर की गयी जिसमें निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई:-

“(I) रिट जारी करना, भारतीय सेना में अग्निवीर (सामान्य कर्तव्य) के पद पर याचिकाकर्ता के परिणाम की घोषणा को दृष्टि में रखते हुए प्रतिवादियों को आदेश देने और निर्देश देने के आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें। चयनित उम्मीदवार के पास अनुक्रमांक संख्या है. एलयूसी_यूटीटी_वीएआर_एवीजीडी_2025-113336 है।

(II) परमादेश में रिट, आदेश या निर्देश जारी करना जिसमें प्रतिवादियों को आदेश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को उपरोक्त पद पर अर्थात् अग्निवीर(सामान्य कर्तव्य) पर प्रशिक्षण के लिए भेजे।

(III) मामले की परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने पर कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जारी करें।

(IV) याचिकाकर्ता को लागत जारी करें।

5. रिट याचिका प्रस्तुत किए जाने पर, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 द्वारा एक प्रतिशपथपत्र दायर किया गया है जिसे ओ/सी लीगल सेल, मुख्यालय पूर्व उत्तर-प्रदेश और मध्य-प्रदेश उप क्षेत्र द्वारा शपथ दिलाई गई है, ओआईसी जिसके समक्ष प्रत्युत्तर शपथपत्र दायर किया गया है।

6. रिट याचिका के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि रिट याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने में प्रतिवादियों की कार्यवाही एक पल के लिए भी कायम नहीं रह सकती है। उक्त प्रस्तुति को विस्तार से बताते हुए यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार 29.08.2025

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



को चिकित्सा परीक्षण के दौरान, रिट याचिकाकर्ता को उपयुक्त पाया गया था और तब किसी भी प्रकार का कोई अस्थिभंग नहीं था, स्पष्ट है, रिट याचिकाकर्ता को अग्निवीर के पद पर नियुक्ति के लिए संयुक्त पत्र जारी किया जाना है, विशेषकर तब जब इस प्रकार प्रकाशित परिणाम में रिट याचिकाकर्ता का चयन किया गया हो, तथापि, 24.11.2025 को प्ररम्भ हुई एक घटना में रिट याचिकाकर्ता को सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह ने मारा और उसे चोटें आईं, तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता की दूसरी बार चिकित्सकी जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके बाद की कोई भी घटना चयन का लाभ प्राप्त करने के रिट याचिकाकर्ता के निहित अधिकार को नहीं छीन पाएगी। तर्क यह है कि 24.11.2025 की घटना रिट याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी आक्रामकता के कारण कहीं भी नहीं है, जैसा कि स्पष्ट है, हरदयाल सिंह के उक्त आचरण से व्यथित रिट याचिकाकर्ता ने पुलिस थाने से संपर्क किया था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता को उसके वास्तविक लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता।

7. श्री प्रेम शंकर प्रसाद, जो रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों का खंडन करते हुए प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित हुए हैं, ने कहा है कि जो भी हो, हालांकि, उनके अपने दृष्टिकोण के अनुसार रिट याचिकाकर्ता का, उन्हें 29.08.2025 को चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाया गया था किन्तु आरटीजी मेडिकल परीक्षा शीर्षक के साथ उत्तर दाताओं की दिनांक 03.04.2017 की निति को देखते हुए मेडिकल परीक्षा की वैधता अवधि है जिसके अनुसार यह आरजीटीएमओ द्वारा की गई प्रारम्भिक चिकित्सा जांच की तिथि से 180 दिन है, यह कहा गया है कि प्रेषण के समय आरटीजीएमओ एएफएमएसएफ-2ए में दर्ज पहचान चिन्हों द्वारा उम्मीदवारों की पहचान करेगा तथा इसके उपरांत किसी भी नई बीमारी या चोट का संभावना को निरस्त करने के लिए चिकित्सकीय परीक्षण करेगा और प्रारम्भिक चिकित्सा परीक्षण में यदि कोई नई विकलांगता पाई जाती है, तो उम्मीदवार का निपटान उसमें निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा। तर्क यह है कि 29.08.2025 को आयोजित चिकित्सा परीक्षा नियुक्ति पर जोर देने का आधार नहीं हो सकती है, विशेष कर जब आयोजित की जाने वाली चिकित्सा परीक्षा की वैधता अवधि के दौरान, ताजा चोट पाई गई तथा इस प्रकार, चिकित्सा परीक्षण के आधीन होने पर रिट याचिकाकर्ता को अयोग्य पाया गया।

8. मैंने न्यायालय में इस प्रकार के तर्क सुने हैं तथा अभिलेख का अवलोकन किया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



9. मुद्दे में तथ्य नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता ने अग्निवीर (सामान्य कर्तव्य) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया है। 29.08.2025 को चिकित्सकीय जांच आधीन रिट याचिकाकर्ता को योग्य पाया गया, उसे जारी किए गए बुलावा पत्र के आधार पर प्रमाण पत्र के सत्यापन आदि के लिए बुलाया गया। रिट याचिकाकर्ता का आरोप है कि 24.11.2025 को जब वह एआरओ में उपस्थित था इसके पश्चात मेरठ के सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह ने रिट याचिकाकर्ता के दाहिने हाथ पर जूते से लात मारी और रिट याचिकाकर्ता को चोट लग गई। रिट याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया है कि उसने 13.12.2025 और 05.12.2025 को सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिए आवेदन को प्राथमिकता दी है। रिट याचिकाकर्ता की पुनः चिकित्सकीय जांच की गई तथा वह अयोग्य पाया गया। प्रक्रिया जिस प्रकार से रक्षा मंत्रालय (सेना) के एकीकृत मुख्यालय से दिनांक 03.04.2017 को जारी नीति में निर्दिष्ट वैधता की अवधि को ध्यान में रखते हुए पुनः चिकित्सा परीक्षण किया जाना है। नीति का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:-

“नीति: आरटीजी चिकित्सा परीक्षा:

प्रस्तावना,

1. सशस्त्र बलों में नामांकन के लिए उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच केवल उन उम्मीदवारों का चयन करने के लिए की जाती है जो कठोर मानसिक तथा शारीरिक तनाव तथा सैन्य सेवा के तनाव को झेल सकते हैं। तथा स्वीकृति को रोक सकते हैं उन लोगो में से जो सक्रिय सेवा के निर्वहन में अनुभव किये गये विभिन्न तनावों के सम्पर्क में आने पर टूटने की सम्भावना रखते हैं।
2. आरटीजी प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों में आवेदन प्रणाली से खुली रैली प्रणाली में विकसित हुई है, और स्वचालन पारदर्शिता, दक्षता को बढ़ावा देगा तथा आरटीजी प्रक्रिया में उम्मीदवारों के विश्वास को बढ़ाएगा। सीईई से पहले चिकित्सा परीक्षण से सीईई के पश्चात चिकित्सा परीक्षण प्रणाली में परिवर्तन के साथ सभी संबंधित विशेषज्ञ एक निश्चित समय और दिन पर एमएच में एक छत के नीचे उपलब्ध होंगे जैसा कि कमान्डेन्ट/सीओ एमएच तथा आरजीटी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त की गयी हैं। केंद्र/एआरओ/जेडआरओ/आईआरओ, निरंतरता में उम्मीदवारों की जाँच की सविधा के लिए और यदि आवश्यक हो तो प्रतिसंदर्भ के लिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. मानव शरीर की स्वास्थ्य स्थिति गतिशील होती हैं तथा प्राकृतिक उपचार किये गये उपचार और शरीर की वृद्धि के कारण समय के साथ उपचार होता है। शारीरिक योग्यता के लिए चिकित्सा परीक्षण का परिणाम उस चिकित्सा परीक्षण की तिथि के अनुसार होता है, तथा यह समय के साथ शारीरिक योग्यता की अंतिम स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगाता है इसलिए उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे चिकित्सा परीक्षण की तिथि के अनुसार शारीरिक रूप से योग्य हैं तथा एसओ 6/एस/2005/के अनुसार एमएच में विशेषज्ञ द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बाद आगे कोई समीक्षा स्वीकार्य नहीं हैं/आटीजी ।

4. यदि आवश्यक हो तो भर्ती के लिए चिकित्सा एसटीडी को पूर्ण करने के लिए उपचारात्मक चिकित्सा उपचार आरटीजी प्रक्रिया के पहले किया जाना चाहिए। अंतिम स्वीकृति की कोई निश्चितता नहीं दी जाती है तथा उम्मीदवार को यह स्पष्ट रूप से समक्ष लेना चाहिए कि कोई उपचार/सर्जरी वांछनीय हैं या आवश्यक हैं, यह उनके निजी चिकित्सा सलाहकारों द्वारा किया जाना चाहिए। सरकार उपचार या किए गए किसी भी खर्च के संबंध में कोई दायित्व स्वीकार नहीं करेगी।

चिकित्सा परीक्षण

5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए तथा पारदर्शिता, जवाबदेही तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए चिकित्सा परीक्षा का संचालन अब से इस प्रकार होगा।

(ए) पीफटी/पीएमटी/दस्तावेजीकरण तथा लिखित परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने पर चयनित उम्मीदवारों की वर्तमान आरटीजी एमओ द्वारा जाँच की जाएगी। आरटीजी एमओ द्वारा जाँचे जाने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या प्रतिदिन प्रति एमओ 40 से अधिक नहीं होगी।

(बी) रैली में सुयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों को योग्य घोषित किया जाएगा, आरटीजी एमओ द्वारा किसी विकलांगता से ग्रस्त पाए गए/संदिग्ध अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा किंतु आगे की जाँच का उचित अवसर देने के लिए आरटीजी एमओ ऐसे मामलों को शीघ्रताशीघ्र निर्दिष्ट एमएच में एसपीएल को भेजेगा, किन्तु 14 दिनों से पहले नहीं आरटीजी एमओ द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण में शब्दावली 'पीयूएफ/टीयूएफ' का समर्थन बंद हो जाएगा।

(सी) एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में अभ्यर्थियों की बार-बार आगमन और प्रस्थान को रोकने के लिए केवल चिकित्सा/शल्य चिकित्सा विशेषज्ञता में विकलांगता वाले अभ्यर्थियों को संबंधित को संबंधित एआरओ से संबद्ध एमएच के पास भेजा जाएगा। हालांकि, यदि संबद्ध अस्पताल में आई/ईएनटी विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है, तो चिकित्सा/शल्य के अतिरिक्त नेत्र और ईएनटी राय के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिए संदर्भित उम्मीदवारों की सभी दोषों के लिए जोनल अस्पताल में जाँच की जाएगी. विभिन्न एमएच में विशेषज्ञ की उपलब्धता सीओ/कॉमडीटी एमएच या मेड कमांड से सुनिश्चित की जाएगी।

(डी) सामान्य प्रकृति की छोटी-मोटी उपचार योग्य बीमारियों से पीड़ित अभ्यर्थी, जैसे साधारण घाव, जूते के काटने से, सामान्य सर्दी, नेत्रश्लेष्मलाशोध आदि, जो आमतौर पर केवल कुछ दिनों तक रहती हैं, जब वे नामांकन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है, ऐसे उम्मीदवार को स्वाकीर करने से पहले आरटीजी एमओ/एसपीएल को स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करना होगा कि बाहरी उपचार से कुछ दिनों में बीमारी ठीक होने की संभावना है. ऐसे मामलों में मेडिकल रिपोर्ट ऑन एंट्री एफएमएसएफ-2ए) में बीमारी की प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं है।

(ई) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां तक संभव हो, एमएच में सभी चिकित्सा परीक्षाएँ एक ही दिन में पूरी की जाएँ, लेकिन किसी भी स्थिति में 14 दिनों के बाद नहीं. यह 14 दिनों की अवधि चिकित्सा परीक्षण पूरा करने की प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए नहीं है बल्कि पूर्ण रूप से साधारण चिकित्सा से मुक्ति/ठीक होने के लिए है।

चिकित्सा परीक्षण की वैधता अवधि

6. सभी मामलों के लिए चिकित्सा परीक्षण की वैधता आरटीजी एमओ द्वारा आयोजित प्रारंभिक चिकित्सा-परीक्षा की तिथि से 180 दिन होगी प्रेषण के समय, आरटीजी एमओ एफएमएसएफ-2ए में दर्ज पहचान चिन्हों के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान करेगा, तथा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण के उपरांत किसी भी नई बीमारी या चोट की संभावना को निरस्त करने के लिए चिकित्सा निरीक्षण करेगा. यदि कोई नई विकलांगता पाई जाती है तो अभ्यर्थी को ऊपर परिच्छेद 5 में वर्णित अनुसार हटा दिया जाएगा।

(ए) पुनः चिकित्सा परीक्षण. वैधता अवधि समाप्त होने के बाद, पुनः चिकित्सा परीक्षण अनिवार्य है और सभी प्रयोजनों के लिए ऐसी चिकित्सा परीक्षा एक नई चिकित्सा परीक्षा मानी जाएगी तथा उसे तदनुसार जोड़ा जाएगा. इन मामलों के जाँच आरटीजी एमओ द्वारा एसआरएमओ के परामर्श से की जाएगी और ऊपर परिच्छेद 5 में वर्णित अनुसार निपटाया जाएगा. 'एफआईटी' उम्मीदवारों को टीआरजी केन्द्र भेजा जाएगा और अन्य उम्मीदवारों को संबद्ध एमएच के विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(बी) वैधता अवधि के पश्चात ऐसी चिकित्सा जाँच में, यदि एसआरएमओ को पता चलता है कि उम्मीदवार को प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा में एमएच के विशेषज्ञ द्वारा योग्य घोषित किया गया था और विकलांगता के लिए एमएच को, हालाँकि, यदि विकलांगता विगड़ गई है या नई विकलांगता का पता चला है तो मामले को एसपीएलकी राय के लिए फिर से भेजा जाएगा।

(सी) 180 दिनों की वैधता अवधि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी।

रेगटी ट्रग सेंटर में चिकित्सा परीक्षण

7. रेगटी ट्रग सेंटर में सम्मिलित होने पर वैधता अवधि के भीतर शारीरिक फिटनेस के लिए कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं किया जाएगा क्योंकि उन्हें पहले ही फिट घोषित किया जा चुका है हालाँकि, सभी रेक्टस का स्वास्थ्य की दृष्टि से आरटीजी एमओ द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि किसी भी संक्रामक बीमारी या चोट की सम्भावना को निरस्त किया जा सके ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एकांत किया जा सके तथा उनका उपचार किया जा सके।

8. यह डाई जेन पत्र संख्या 76054/डीजीएमएस-5ए डीटी 05 जनवरी 2015 इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।

9. यह पत्र डीजीएमएस (सेना/डीजीएमएस-5ए वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है)

10. नीति पर एक दृष्टि डालने से यह पता चलेगा कि सभी मामलों के लिए चिकित्सा परीक्षण की वैधता अवधि होती है जो प्रारंभिक चिकित्सा की तिथि से 180 दिन निर्दिष्ट होती है। आरटीजी एमओ द्वारा आयोजित परीक्षा तथा प्रेषण के समय आरटीजी एमओ को एएफएमएसएफ-2ए में दर्ज पहचान चिन्हों द्वारा उम्मीदवारों का पहचान करनी है और किसी भी निष्कर्ष को निरस्त करने के लिए चिकित्सा परीक्षा करनी है। घायल चिकित्सा परीक्षण के बाद बीमारी या चोट। वास्तव में, रिट याचिकाकर्ता का मामला ऐसा नहीं है कि उसमें निर्दिष्ट वैधता आवधि के अनुसार किसी अन्य चिकित्सा परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। यह निर्धारित करने के लिए कि प्रारंभिक चिकित्सा जांच के बाद कोई चोट लगी है या नहीं, दिनांक 03.04.2017 की नीति को चुनौती नहीं दी गयी है। एक बार स्थिति ऐसी हो जाने पर उत्तरदाताओं को एक और चिकित्सा परीक्षण कराने का आदेश दिया जाता है। हालाँकि रिट याचिकाकर्ता के अनुसार सूबेदार मेजर हरदयाल सिंह ने बिना किसी रिट याचिकाकर्ता की गलती के उनपर हमला किया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय को उक्त विषय पर गहराई से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपराधिक विधि के अंतर्गत या अन्यथा हमलावर के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता के पास पहले से ही विधिक उपाय उपलब्ध है।

11. इसके अतिरिक्त, रिट याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे कोई चोट नहीं आई है किन्तु रिपोर्ट से पता चलता है कि पेपरबुक के पृष्ठ 15 पर अनुलग्नक-सीए 1 में तीसरे मेटाकार्पल दाहिने हाथ का अस्थिभंग दिखाया गया है अन्यथा भी, इस न्यायालय को इस विषय पर अपनी राय और दृष्टिकोण देने की आवश्यकता नहीं है कि चोट लगी थी या नहीं। इस न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिससे यह पता चले कि पुनः चिकित्सा परीक्षण का कोई प्रावधान है, विशेषकर जब रिपोर्ट के परिच्छेद 3 में निम्नलिखित दर्शाया गया हो:-

“3. उन्हें सलाह दी जाता है कि यदि वे अपनी व्यवस्था के अंतर्गत चाहे तो शल्य समीक्षा के लिए सैनिक अस्पताल, मेरठ में रिपोर्ट करें (नोट: यदि अयोग्य घोषित किया जाता है तो 5 दिनों के भीतर एमएच को रिपोर्ट करें।) विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी एमएच द्वारा व्यक्त की गई राय अंतिम है तथा इसकी समीक्षा की अनुमति नहीं है।”

12. यह न्यायालय न्यायिक आदेश द्वारा पुनः चिकित्सा परीक्षण के दावे पर विचार करने का निर्देश नहीं दे सकता। तदनुसार, हस्तक्षेप करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं बनाया गया है, रिट याचिका का निस्तारण कर दिया गया है तथा रिट याचिकाकर्ता के लिए यह खुला छोड़ दिया गया है कि यदि वह उस सम्बन्ध में उपयुक्त हो तो नए चयन के लिए फिर से आवेदन कर सके।

13. आज दायर किए गए प्रति तथा प्रत्युत्तर शपथपत्र को अभिलेख में लिया गया है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026